<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 54 / 2023

1 राजवन्ति पुत्री हुकमा पत्नी हरिराम जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 मानसिंह पुत्र नानड़राम जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2 मूलचन्द पुत्र जिसुख
3 रघुवीर पुत्र जिसुख
4 वेदप्रकाश पुत्र जिसुख
5 हरलाल पुत्र जिसुख
समस्त जाति जाट निवासीगण मैनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
6 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
7 अमीलाल पुत्र नानड़राम जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
8 तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी. एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना
मुकदमा उनवानी मानसिंह बनाम राजवन्ति वगै.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी. एक्ट
1955 मु.नं. 304 / 2022 निर्णय दिनांक 07.02.2023

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (राजस्थान)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 6.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 304/2022 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने खेत खसरा नम्बर 157 के लिए रास्ता चाहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की विचारण न्यायालय के यहां यह प्लीडिंग रही की खेत खसरा नम्बर 156 के सहखातेदारान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 ने खेत खसरा नम्बर 157 के लिए 8 मीटर चौड़ा रास्ता सन् 2020 में खेत खसरा नम्बर 156 में से दिया और यह प्लीडिंग रही है कि खसरा नम्बर 156 में प्रचलित रास्ता जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपयोग करता रहा है को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 ने रोक दिया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादिया रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने धारा 251ए आर.टी.एक्ट 1955 व राजस्थान टिनेन्सी (राजकीय) नियम 1955 के नियम 69 से 71 के प्रावधानों को नजर अंदाज किया है। अपीलान्ट आराजी हाल खसरा नम्बर 203 सरहद मौजा मैनाना की खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने खेत खसरा नम्बर 156 में से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

मौजुद 8 मीटर चौड़े प्रचलित रास्ते में बाधा कारीत करने की प्लीडिंग कर प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्लींडिग के मुताबिक प्रकरण धारा 251 ए आर.टी एक्ट 1955 का नहीं बनता और धारा 251 आर.टी. एक्ट 1955 के आवश्यक तत्व होने से विचारण न्यायालय को प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रचलित रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के खेत खसरा नम्बर 156 में होना कथित किया और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के पिता का आपस में सगे भाई होना कथन किया। ऐसी सुरत में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलान्ट के खातेदारी के खते खसरा नम्बर 203 में से रास्ता क्लेम करने का हक नहीं था। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उपरोक्त विरोधाभाषी प्लीडिंग को स्वीकार कर खेत खसरा नम्बर 203 में से 2 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करने का आदेश गलत पारित किया है। विचारण न्यायालय ने भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 17.10.2022 की संलग्न नजरी नक्शा प्रदर्श 'अ' के मुताबिक रास्ता कायम किया है जो कि संभव नहीं है। खेत खसरा नम्बर 156 में खेत खसरा नम्बर 157 के जाने के लिए बिन्दु डी पर घुमाव नही दर्शाया है और ना ही उक्त घुमाव में जाने वाली जमीन को दर्शाया गया है। प्रदर्श 'अ' नक्शा के मुताबिक खसरा नम्बर 156 से खेत खसरा नम्बर 157 में पहुंचना असंभव है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने मनमर्जी से कानुन को अनदेखा कर निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। निर्णय दिनांक 06.02.2023 को पारित हुआ। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी दिनांक 09.05.2023 को पटवारी हल्का मौके पर आया तब जानकारी हुई। दिनांक 10.05.2023 को नकल हेतु आवेदन किया जो तैयार होकर 11.05.2023 को प्राप्त हुई। निर्णय के बाबत अपीलान्ट को उनके अधिवक्ता ने सूचना नहीं दी। इस कारण जानकारी नहीं हो पाई। दिनांक 10.05.2023 को अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से इस बाबत उलाहना दिया कि उन्होनें निर्णय की सूचना समय पर क्यों नहीं दी तो उन्होनें कहा कि साधारण डाक से सूचना भिजवाई थी परन्तु उपरोक्त तथाकथित डाक अपीलान्ट को नहीं मिली। अपीलान्ट वृद्ध ग्रामीण अशिक्षित महिला है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

अपीलान्ट की अपील में मैरिट है। ऐसी सुरत में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद समाहत की जाना उचित व न्यायोचित है। दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अपील अपीलान्ट मंजुर फरमाई जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.07.2023 को अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 203 सरहद मौजा मैनाना की हद तक निरस्त फरमाया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2011 (1) पेज 602 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील अपीलांट मियाद बाहर है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की जरिए वकालतन उपस्थिति रही है। अधिवक्ता द्वारा जानकारी नहीं दी जाने का तर्क स्वीकार्य नहीं है। अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावें। विचारण न्यायालय में मौका रिपोर्ट पर प्रस्तुत आपत्ति पर बहस सुनी गई आपत्तिकर्ताओं में राजवन्ति की आपत्ति का मुख्य आधार यह रहा कि भूमि खसरा नम्बर 156 में से ही रास्ता दिया जावें क्योंकि वे उनके भाईबन्द हैं तथा उन्होनें सन् 2020 में रास्ता दे भी रखा था तथा अनावेदक संख्या 2 व 3 ने कथन किया कि आवेदक संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 157, 158 में से वह आवगमन करता हैं तथा आवेदक का रास्ता भूमि खसरा नम्बर 203 अनावेदक संख्या 1 की भूमि में से सबसे ज्यादा नजदीक पड़ता है इसलिए दुबारा से रिपोर्ट मंगवाई जावें। मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 156 व 203 में से आम रास्ता मौजूद है तथा उस रास्ते से खसरा नम्बर 157 की दुरी केवल साढे 5 मीटर होना बताई गई इसलिए खसरा नम्बर 203 व 156 में से खसरा नम्बर 157 के लिए रास्ता दिया जाना सबसे ज्यादा उचित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2022(1) पेज 196, आरबीजे 2019 पेज 658,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

आरआरटी 2019(2) पेज 866, डीएनजे रेव 2022(2) पेज 1011, डीएनजे राज. 2013(2) पेज 750, आरआरटी 2023(2) पेज 1193 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में मौका रिपोर्ट पर प्रस्तुत आपत्ति पर बहस सुनी गई आपत्तिकर्ताओं में राजवन्ति की आपत्ति का मुख्य आधार यह रहा कि भूमि खसरा नम्बर 156 में से ही रास्ता दिया जावें क्योंकि वे उनके भाईबन्द हैं तथा उन्होनें सन् 2020 में रास्ता दे भी रखा था तथा अनावेदक संख्या 2 व 3 ने कथन किया कि आवेदक संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 157, 158 में से वह आवगमन करता हैं तथा आवेदक का रास्ता भूमि खसरा नम्बर 203 अनावेदक संख्या 1 की भूमि में से सबसे ज्यादा नजदीक पड़ता है इसलिए दुबारा से रिपोर्ट मंगवाई जावें। मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 156 व 203 में से आम रास्ता मौजूद है तथा उस रास्ते से खसरा नम्बर 157 की दुरी केवल साढे 5 मीटर होना बताई गई इसलिए खसरा नम्बर 203 व 156 में से खसरा नम्बर 157 के लिए रास्ता दिया जाना सबसे ज्यादा उचित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धींजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर